राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पचायती राज विभाग)

एफ.4(58)मार्गदर्शन/विधि/पंरा/2017/1496 जयपुर, दिनांक: 11-12-2017

:: परिपत्र ::

विभाग के ध्यान में आया है कि विभिन्न विकास अधिकारियों द्वारा समय–समय पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम/नियम के क्रियान्वयन बाबत अथवा अन्य किसी प्रशासनिक बिन्दु पर सीधे ही पंचायती राज विभाग को पत्र प्रेषित कर, मार्गदर्शन चाहा जाता है। इसी प्रकार विभिन्न मुख्य कार्यकारी अधिकारियों द्वारा भी विकास अधिकारियों द्वारा उनसे चाहे गए मार्गदर्शन के पत्रों को मूल ही संलग्न कर पंचायती राज विभाग को प्रेषित कर मार्गदर्शन चाहा जाता है । इस सम्बन्ध में लेख है कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम–336 में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियां एवं कर्त्तव्य निर्धारित किये गये हैं, इसके उप–नियम (1)एवं (2) इस प्रकार से है:–

336. मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अन्य शक्तियॉं एवं कृत्य :–

(1) वह ज़िले के लिए प्रभारी अधिकारी, पंचायती राज के रूप में कार्य करेगा, जो ज़िले में ग्रामीण विकासीय स्कीमों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आवश्यक मार्गदर्शन एवं सलाह देगा।

(2) वह अधिनियम एवं नियमों के क्रियान्वयन में पंचायतों एवं पंचायत समितियों को मार्गदर्शन करेगा।

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि पंचायतों एवं पंचायत समितियों को मार्गदर्शन दिया जाना मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़िला परिषद् का दायित्व है ।

अतः इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि कोई भी विकास अधिकारी भविष्य में सीधे ही पंचायती राज विभाग से उपरोक्तानुसार पत्राचार न करें । मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसे प्रकरणों में स्वयं स्तर से पंचायतों/पंचायत समितियों को मार्गदर्शन दिया जाना सुनिश्चित करें । यदि ऐसे किसी प्रकरण में विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाना अपरिहार्य हो तो विभाग को पत्र प्रेषित करते समय पूर्ण तथ्यात्मक विवरण के साथ स्वंय की टिप्पणी भी अवश्य अंकित करें ।

उपरोक्त निर्देशों की पालना कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

(नवीन महाजन)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़िला परिषद, समस्त, राजस्थान ।
2. अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़िला परिषद, समस्त, राजस्थान ।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त, रारजस्थान ।
4. रक्षित पत्रावली ।

उप शासन सचिव (विधि)